हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्याः पीसीएच–एचए(1)2/2019–विभाजन/पुर्नगठनः 55338-360 27 अगस्त, 2020

अधिसूचना

क्योकि उपायुक्त कांगडा के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला कांगडा के निम्नलिख्ति ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुर्नगठन हेतु, प्रस्तावनाएं विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पचांयती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप–धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगडा के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को नियमानुसार विभाजित/पुर्नगठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते है, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई–राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला कांगडा के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन/जोडने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला कांगडा को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव , जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएगें;

राज्य सरकार, जिला कांगडा के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन तथा नए ग्रम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला कांगडा की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगीः

क सं	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रमों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने बाले ग्रमों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	**विकास खण्ड देहरा**					
	1 लगडू	1 तली 2 रिजर्व जंगल कालापानी 3 कालापानी 4 देवगांव 5 माहड़	**हरदीपपुर**	1 हरदीपपुर 2 देवगांव 3 चोड़ी **ग्रा0पं0 डोहग देहरियां में अपवर्जितः**	1 तली 286 2 माहड़ 300 3 लगडू 273 **ग्रा0पं0 बग्ग से अपवर्जितः** 4 मण्डू 61	

		6 लगडू 7 हरदीपपुर 8 चोड़ी		4 कालापानी 5 रिजर्व ज़ंगल कालापानी		
	2 मूहल	1 गोपीपुर 2 मूहल 3 जालंधर लाहड़ 4 ठाकुरद्वारा 5 जोल 6 भेडी	**जालंधर लाहड़ (ठाकुरद्वारा)**	1 जालंधर लाहड़ 2 ठाकुरद्वारा 3 गोपीपुर	1 मूहल 2 जोल 3 भेडी	
2	**विकास खण्ड कांगडा**					
	1 बीरता	1 वीरता 2 ललेड़	**ललेड़**	1 ललेड़	1 वीरता	
3	**विकास खण्ड नगरोटा सूरियां**					
	1 डोल (भटेहड़)	1 सरहण्डी 2 डोलवां 3 रिज़र्व जंगल डोलवां 4 तलियाल 5 भटेहड़ 6 खैरियां 7 बकाण 8 पद्धर	**पद्धर**	1 डोलवां 2 रिज़र्व जंगल डोलवां 3 पद्धर 4 सरहण्डी	1 तलियाल 2 भटेहड़ 3 खैरियां 4 बकाण	
	2 कटोरा	1 कटोरा 2 वनतुंगली	**वनतुंगली**	1 वनतुंगली	1 कटोरा	
4	**विकास खण्ड सुलहः**					
	1 खैरा (मतेहड़)	1 मतेहड़ 2 डोली 3 वनकुंडग 4 कोठी 5 वलूही 6 खैरा उपली 7 खोली 8 गदियाड़ा 9 लाहडू	**कोठी**	1 कोठी 2 खोली 3 वनकुंडग 4 गदियाड़ा	1 मतेहड़ 2 डोली 3 वलूही 4 खैरा उपली 5 लाहडू	
5	**विकास खण्ड प्रागपुर**					
	1 ढौन्टा (फलरवाड़ा)	1 फलवाड़ा 2 ढौन्टा 3 रामबैह 4 बैह	**बैह**	1 रामबैह 2 बैह	1 फलवाड़ा 2 ढौन्टा	

6	**विकास खण्ड नगरोटा बगवां**					
	1 मलां	1 मलां 2 पानखर 3 गुजरेहड़ा 4 वूहली मझेटली 6 उपरली मझेटली 5 वमनेहड़	**उपरली मझेटली**	1 उपरली मझेटली 2 वमनेहड	1 मलां 2 पानखर 3 गुजरेहड़ा 4 वूहली मझेटली	
	2 मुहालकड़ चाहड़ी (मुहालकड़)	1 नियाण्डा 2 मुहालकड 3 खतरेहड 4 हलेड़ 5 गदियाड़ा 6 लाहड़ 7 चाहड़ी खास 8 द्रगा 9 तरिहाड़ा	**चाहड़ी**	1 लाहड़ 2 चाहड़ी खास 3 द्रगा 4 तरिहाड़ा	1 नियाण्डा 2 मुहालकड 3 खतरेहड 4 हलेड़ 5 गदियाड़ा	
	3 धलूं	1 धलूं 2 रिन 3 फलोन्दी 4 चकवन बनाई	**रिन**	1 रिन 2 फलोन्दी 3 चकवन बनाई	1 धलूं	
7	**विकास खण्ड बैजनाथ**					
	1 भट्टू पंजाला	1 अप्पर भट्टू 2 लोअर भट्टू 3 अप्पर पंजाला 4 लोअर पंजाला	**पंजाला (लोअरपंजाला)**	1 अप्पर पंजाला 2 लोअर पंजाला	1 अप्पर भट्टू 2 लोअर भट्टू	
8	**विकास खण्ड पंचरूखी**					
	1 छेक (डोलीखुर्द)	1 चौरडू 2 डोली खुर्द 3 राजिन्द्रनगर 4 सलेहरा	**सलेहरा**	1 सलेहरा	1 चौरडू 2 डोली खुर्द 3 राजिन्द्रनगर	
9	**विकास खण्ड नूरपुर**					
	1 सुल्याली	1 सुल्याली 2 बारडी 3 नेरा 4 लोहारपुरा 5 देवभराड़ी	**लोहारपुरा**	1 नेरा 2 लोहारपुरा 3 देवभराड़ी	1 सुल्याली 2 बारडी	

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्याः उपरोक्तः 55338-360 दिनांक 27 अगस्त, 2020

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. उपायुक्त कांगडा, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सुझवों/आक्षेपों यदि कोई हो, को

सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों के भीतर निपटारा करके ई–मेल या विशेष वाहक द्वारा इस निदेशालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

2. जिला पचांयत अधिकारी कांगडा स्थित धर्मशाला को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिशिचित करवाएगें।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला कांगडा, हि0प्र0. को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पचांयत के प्रधान/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार भी सुनिशिचित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/ सचिव ग्राम पचांयत जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश को (सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटट पर चसपान सुनिशिचित करवाऐगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार करे।

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9.